

Manipur Appropriation (No.2) Bill, 2025

HON. CHAIRPERSON: Now, item No. 20E.

माननीय वित्त मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

वित्त मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : सर, इंट्रोड्यूस करने से पहले आपकी इंडलर्जेस चाहती हूँ । मणिपुर के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली ओपोजिशन पार्टी आज उनको पैसा देने के समय में चर्चा से इंकार कर रही है । ? (व्यवधान) यह शेम है । ? (व्यवधान) बिलकुल शेम है । मणिपुर के हित में जो पैसा जा रहा है, ये उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं ।? (व्यवधान) यह मणिपुर की जनता को समझना चाहिए । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You should have patience to hear at least what the Finance Minister is saying. She is presenting Appropriation Bill.

? (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Manipur for the services of the financial year 2025-26. ? (Interruptions)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-20 एफ, माननीय वित्त मंत्री जी ।

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

?That the Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Manipur for the services of the financial year 2025-26, be taken into consideration.?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I seek your indulgence. ? (*Interruptions*) The Opposition, which was all the way talking on Manipur, is denying money from going to Manipur. ? (*Interruptions*) ये बजट के खिलाफ बोलने वाले ऑपोजिशन हैं । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of the Finance Minister will go on record.

? (*Interruptions*) ?

माननीय सभापति: केवल माननीय मंत्री जी का वक्तव्य रिकॉर्ड पर जाएगा । किसी और माननीय सदस्य का वक्तव्य रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा ।

? (व्यवधान) ?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed?.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

—
? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपनी-अपनी सीट पर वापस जाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: क्या आप कोई बात कहना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोक सभा के वेल में भी रहेंगे और विधेयक पर चर्चा भी नहीं करेंगे । इस तरह लोक सभा को बाधित करेंगे और सत्र की कार्यवाही को बाधित करेंगे । ऐसे सदन नहीं चलेगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आप लोक सभा की कार्यवाही, सदन को नियमित और सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं तो औजला साहब बैठिए, बर्वे साहब बैठिए । बैन्नी बेहनन साहब, चन्नी साहब, राहुल जी, जय प्रकाश जी आप लोग बैठ जाइए और सबको बैठाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 08 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

14.26 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, August 8, 2025/Sravana 17, 1947 (Saka).

—